संख्याः– /XVIII(II)/2020–01(8)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 18 दिसम्बर, 2020**

विषयः–सन लेयर एनर्जी प्रा0लि0 को सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु ग्राम तामाखानी, रा0उ0नि0 क्षेत्र छानागोलू, तहसील द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में 8.0845 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4038/पांच–02/2019–20, दिनांक 20 जून, 2020 तथा पत्र संख्या–5125/पांच–02/2019–20, दिनांक 17 अगस्त, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सन लेयर एनर्जी प्रा0लि0 को सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु ग्राम तामाखानी, रा0उ0नि0 क्षेत्र छानागोलू, तहसील द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में 8.0845 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन लेयर एनर्जी प्रा0लि0 को सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु ग्राम तामाखानी, रा0उ0नि0 क्षेत्र छानागोलू, तहसील द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में 8.0845 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अध्यादेश दिनांक 18 नवम्बर, 2019 की धारा–154(2)(ख) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(V) में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (05 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– प्रस्तावित भूमि में विक्रेता कास्तकार वास्तविक भूमिधर है अथवा नहीं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन करवाया जायेगा।

6– प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित विक्रेता खातेदारों तथा सहखातेदारों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

7– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8– इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग निर्धारित प्रयोजन (05 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना) की स्थापना के लिए ही किया जायेगा।

10– सम्बन्धित इकाई द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

11– आवेदक द्वारा स्थापित की जाने वाले परियोजना में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

12– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

13– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14– भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।

15– योजना प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी यथा आवश्यक स्वीकृतियां क्रेता द्वारा प्राप्त की जायेगी।

16– सम्बन्धित समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18– इकाई को उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013 (संशोधित–2018) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

19– जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

3– कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–962 /XVIII(II)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग/औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4– श्रीमती नीता सिंह, 194 सेवन्त वीला, राजपुर रोड़, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।